Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

तिलोकचन्द बनाम बुधमल आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा......70..../ 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री धनपत गोड द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयां के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण रोही कालू खसरा नम्बर 156 तादादी 4.9100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3068 / 120 तादादी 3.3850 हैक्टेयर भूमि में आगामी पेशी तक प्रार्थी के हक–हिस्से तक उक्त भूमि का बेनामा न करे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.05.2022 को पेश हो। इ.अ.	
13/04/22	पत्रावली प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहता है Note press में खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। अतः नोट प्रेस बाबत पेश प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] इसी स्टेज पर जरिये नोट प्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। इ.अ.	

उपखण्ड अधिकारी

लूणकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar

Date: 2022.06.20 17:14:15 IST

Reason: SelfAttested